

मु. नं- 02/25 (दावा)

रामदीन वगैरह बनाम रुमा देवी वगैरह

किरम मुकदमा - वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.2025	<p>यह वादपत्र वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री प्रीतम चन्द सेनी द्वारा वाक्य स्थाई निपेचाज्ञा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जरिये <b>Registered AD</b> वास्ते जाहिर करने वजह जारी हो। पत्रावली वास्ते तलकी दिनांक 07.02.2025 को पेश हो। <u>उ</u></p> <p><u>07/2/25</u> पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित/ वकील वादी ने प्रतिवादीगण की लागील रजिस्टर्ड डाक रसीद पेश नहीं की। डाक रसीद अनिर्धार रूप से पेश हो। पत्रावली वास्ते तलकी दिनांक <u>7/3/25</u> को पेश हो। <u>उ</u></p> <p><u>7/3/25</u> पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित/ पत्रावली पूर्णतया वास्ते तलकी दिनांक <u>4/4/25</u> को पेश हो। <u>उ</u></p> <p><u>4/4/25</u> प्रजालाचिन्तक कार्रवाई जाहिरात अवकाश वटतीने कारण - वाचिन्तक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली प्रयत्नित दिनांक <u>9/5/25</u> को पेश हो। <u>उ</u></p> <p><u>9/5/25</u> पत्रावली पेश हुई फलकारण को वार-2 भावाज मिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय से तलकी में लंबित है। वादी को वार-2 निर्देशों के बावजूद भी वादी द्वारा लम्बे समय से तामील रजिस्टर्ड डाक रसीद पेश</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>

